



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**



वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in



- 0651-2481813

पत्रांक : 01/यो0बजट-09/2023-137

दिनांक : 26/03/26

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची/खूँटी वन प्रमण्डल, खूँटी/
गुमला वन प्रमंडल, गुमला/ लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा/सिमडेगा वन
प्रमण्डल, सिमडेगा/ मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर/ लातेहार वन
प्रमण्डल, लातेहार/ गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा/ गढ़वा दक्षिणी वन
प्रमंडल, गढ़वा/ दुमका वन प्रमण्डल, दुमका/ पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़/
गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा/ साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज/ देवघर वन
प्रमंडल, देवघर/ जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा/ सारण्डा वन प्रमंडल,
चाईबासा/ कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा/ पोड़ाहाट वन प्रमंडल,
चाईबासा/ चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा/ सरायकेला वन प्रमंडल,
सरायकेला/ जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर/ चतरा उत्तरी वन प्रमंडल,
चतरा/ चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा/ कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा/
हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल,
हजारीबाग/ रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़/ बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो/
धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ गिरिडीह
पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह/ वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची/ वन्य प्राणी
प्रमंडल, हजारीबाग/ गज परियोजना, जमशेदपुर/ उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र
परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर/ उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र
परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वित की जाने वाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं
अपराध नियंत्रण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत NTCA, नई दिल्ली के दिशा
निर्देश के आलोक में All India Tiger Estimation के तहत Sign Survey एवं
Transect Survey का कार्य हेतु कुल ₹0 207.54 लाख (दो करोड़ सात लाख
चौवन हजार रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub
Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-18/2020-37/स्वी0 व0प0 दिनांक
25.03.2026 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 4/यो0ब0-18/2020-107A
व0प0 दिनांक 25.03.2026।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-
वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास
तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-61 वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण योजना के तहत वित्तीय
वर्ष 2025-26 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 207.54 लाख (दो करोड़ सात
लाख चौवन हजार रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
व्यावसायिक सेवायें	19S24060110161000329	207.54
कुल :-		207.54

* तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त बजट उपबंध के अंतर्गत राशि का उप आवंटन किया जा रहा है।

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-2 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060110161000329, है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4 (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जाए।

(II) राशि की निकासी संबंधित जिला में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जाएगा।

5. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड होंगे।

6. (I) निकासी एवं व्यय पदाधिकारी योजनांतर्गत निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत करायेंगे।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं उनके नियंत्री पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमण्डलीय लेखा में प्रवृष्टि की समीक्षा करेंगे एवं ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जाएगी।

(III) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, तदनुसार निर्देश इस स्तर से प्राप्त करना चाहेंगे।

(IV) नियंत्री पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाए यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, व्याघ्र एवं हाथी परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना इत्यादि।

(IV) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जाएगा।

(V) गत 3 वर्ष में आमदानी का व्यौरा भी स्पष्ट किया जाए। यह राशि कोषागार में जमा दी जाए। कंउम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाए। स्टॉकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

7. Monitoring : विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जाएगी :-

- (क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाए। वित्तीय वर्ष 2023-24 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जाएगा।
- (ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाए।
- (ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार Monitor, भारत सरकार के पैटर्न पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।
8. (I) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाएगा।
- (II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।
- (III) निरीक्षण प्रतिवेदन तथा वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक इस कार्यालय को समर्पित किया जाएगा।
- (IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाए।
- (V) योजना में निर्माण संबंधी कार्यों के लिए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ही कार्य किये जायेंगे।
- (VI) योजना का ब्यौरा विभागीय JOHAR पोर्टल एवं विभागीय पार्टल पर संधारित किया जाए।
- (VII) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।
- (VIII) बैंक/डाकघर स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाए।
- (IX) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।
- (X) कंडिका-IX के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।
9. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा।
- (II) सभी यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन के पश्चात् मशीन एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाएगा।
- (III) वैसे यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाए। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाए। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाए।
10. निकासी एवं व्यय पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जाएगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

11. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखे कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना इस कार्यालय को तुरंत देंगे। नियंत्रि एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरणीकरण न हों।

12. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।


13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686 दिनांक 05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप की जाएगी।

14. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्रि पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

15. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542 दिनांक, दिनांक 11.03.2015 के अनुरूप किया जाएगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


विश्वासभाजन,


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-09/2023-137 दिनांक-26/03/26

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची/मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, पलामू व्याघ्र परियोजना, मेदिनीनगर/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/ राँची/ पलामू/ जमशेदपुर/ हजारीबाग/ बोकारो/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/ देवघर/ राँची/ गुमला/ गढ़वा/ लातेहार/ जमशेदपुर/ चाईबासा/ हजारीबाग/चतरा/ बोकारो/ गिरिडीह/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची/ पी0एम0यू0 सेल, कार्यालय-योजना अंचल, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-09/2023-137 दिनांक- 26/3/26

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, झोरण्डा, राँची / खूँटी / गुमला / लोहरदगा / सिमडेगा / हजारीबाग / चतरा / कोडरमा / बोकारो / धनबाद / रामगढ़ / गिरिडीह / जमशेदपुर / चाईबासा / सरायकेला-खरसावाँ / मेदिनीनगर / लातेहार / गढ़वा / दुमका / देवघर / जामताड़ा / साहेबगंज / गोड्डा / पाकुड़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2025-26 में कार्यान्वित की जानेवाली "वन्यप्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण" योजना
(अन्य क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	व्यावसायिक सेवायें	कुल
1	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमंडल, राँची	NTCA, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के अलोक में All India Tiger Estimation के तहत Sign Survey एवं Transect Survey का कार्य।	5.00	5.00
2	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, खूँटी वन प्रमण्डल		5.00	5.00
3	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला वन प्रमंडल, गुमला		5.00	5.00
4	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लोहरदगा वन प्रमंडल, लोहरदगा		5.00	5.00
5	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा वन प्रमण्डल, सिमडेगा		5.00	5.00
6	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमंडल, मेदिनीनगर		5.00	5.00
7	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, लातेहार वन प्रमण्डल, लातेहार		5.00	5.00
8	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा उत्तरी वन प्रमंडल, गढ़वा		5.00	5.00
9	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा दक्षिणी वन प्रमंडल, गढ़वा		5.00	5.00
10	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, दुमका वन प्रमण्डल, दुमका		5.00	5.00
11	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पाकुड़ वन प्रमंडल, पाकुड़		5.00	5.00
12	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गोड्डा वन प्रमंडल, गोड्डा		5.00	5.00
13	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज		5.00	5.00
14	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर वन प्रमंडल, देवघर		5.00	5.00
15	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा वन प्रमंडल, जामताड़ा		5.00	5.00
16	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सारण्डा वन प्रमंडल, चाईबासा		5.00	5.00
17	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोल्हान वन प्रमंडल, चाईबासा		5.00	5.00
18	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, पोड़ाहाट वन प्रमंडल, चाईबासा		5.00	5.00
19	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चाईबासा वन प्रमंडल, चाईबासा		5.00	5.00
20	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला		5.00	5.00
21	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर		5.00	5.00
22	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा उत्तरी वन प्रमंडल, चतरा		5.00	5.00
23	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, चतरा		5.00	5.00
24	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, कोडरमा वन प्रमंडल, कोडरमा		5.00	5.00

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	कार्य विवरणी	व्यावसायिक सेवार्ये	कुल	
25	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल, हजारीबाग	NTCA, नई दिल्ली के दिशा निर्देश के आलोक में All India Tiger Estimation के तहत Sign Survey एवं Transect Survey का कार्य।	5.00	5.00	
26	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमंडल, हजारीबाग		5.00	5.00	
27	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ वन प्रमंडल, रामगढ़		5.00	5.00	
28	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, बोकारो वन प्रमंडल, बोकारो		5.00	5.00	
29	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमंडल, धनबाद		5.00	5.00	
30	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पूर्वी वन प्रमंडल, गिरिडीह		5.00	5.00	
31	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमंडल, गिरिडीह		5.00	5.00	
32	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, राँची		5.00	5.00	
33	वन प्रमण्डल पदाधिकारी, वन्य प्राणी प्रमंडल, हजारीबाग		5.00	5.00	
34	उप वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक, गज परियोजना, जमशेदपुर		5.00	5.00	
35	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, उत्तरी प्रमण्डल, मेदिनीनगर		18.77	18.77	
36	उप निदेशक, पलामू ब्याघ्र परियोजना, दक्षिणी वन प्रमंडल, मेदिनीनगर		18.77	18.77	
योग:-			207.54	207.54	


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

1

पत्र संख्या - 01/YB-09/2023/137

दिनांक - 26-Mar-2026

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117887	DRNFWL013 SRIKANT VERMA DFO, RANCHI FORES DIVISION RA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
2	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117888	RNCFORK01 DILEEP KUMAR YADAV D.F.O KHUNTI 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
3	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117889	GMLFOR001 AHMAD BELAL ANWAR D.F.O. GUMLA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
योग:	रुपये पंद्रह लाख			1,500,000.00
क्रमिक योग:				

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADL PCCE DEV JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117890	LDGFOR001 ABHISHEK KUMAR DIV.FOREST OFFICER 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
5	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117891	SDGFOR002 SHASHANK SHEKHAR SINGH DIVISIONAL FOREST OFFICER SIMD 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
6	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117892	PLMFOR070 SATYAM KUMAR D.F.O.MEDININAGAR. OREST.DIV. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीस लाख			1,500,000.00
क्रमिक योग:				3,000,000.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117893	LTRFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO FOREST DIV LATEHAR 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117894	GRHFWL001 ANSHUMAN D.F.O. NORTH DIV. GARHWA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117895	GRHFWL004 EBIN BENNY ABRAHAM D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये पैतालीस लाख
क्रमिक योग:

1,500,000.00

4,500,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

S.D.P. PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117897	DMKFOR010 SATWIK D.F.O.DUMKA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117898	PKRFOR001 SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117899	GDDFOR164 WAGH PAVAN SHALIGRAM DFO GODDA FOREST DIVISION 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये साहठ लाख
क्रमिक योग:

1,500,000.00

6,000,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

D. P. C. C. DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117900	SBJFOR001 PRABAL GARG DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
14	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117901	DGRFORE88 ABHISHEK BHUSHAN DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
15	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117902	JMTFOR001 RAHUL KUMAR D.F.O. JAMTARA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये पचहत्तर लाख

क्रमिक योग:

1,500,000.00

7,500,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL. ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	117905	SGHFOR009 RAJENDRA PRASAD SINGH D.F.O.SARANDA STATE TRDAD.DIV. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
17	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	117907	SGHFOR002 KULDEEP MEENA D.F.O.KOLHAN FOREST DIV.CBSA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
18	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	117909	SGHFOR003 NITISH KUMAR D.F.O.PORAHAT FOREST DIV. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
योग:	रुपये नब्बे लाख			1,500,000.00
क्रमिक योग:				9,000,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADD. PCCF DEV. HARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117910	SGHFOR010 ADITYA NARAYAN DFO.CHAIBASA FOREST DIV. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
20	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117911	SKLFOR001 SHABA ALAM ANSARI I/C D.F.O.SERAIKELLA-KI ARSAWA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
21	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117912	JSRFOR051 SHABA ALAM ANSARI D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये एक करोड पाँच लाख

क्रमिक योग:

1,500,000.00

10,500,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL ECCE DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117913	CTRFOR002 RAHUL MEENA D.F.O, NORTH DIV. CHATRA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117915	CTRFOR003 MUKESH KUMAR D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117917	KDMFORA01 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. KODERMA 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये एक करोड बीस लाख
क्रमिक योग:

1,500,000.00

12,000,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL PCCF DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	117918	HZBFWL009 VIKASH KUMAR UJJWAL DIV. FOREST OFFICE EAST 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
26	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	117920	HZBFWL005 MAUN PRAKASH D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV, HZB 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
27	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Central Scheme : NA	117921	HZBFOR001 NITISH KUMAR DIV. FOREST OFFICE RAMGARH 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख

योग: रुपये एक करोड पैंतीस लाख

क्रमिक योग:

1,500,000.00

13,500,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

ADDL. PCCE DEV. IHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117923	BKRFOR001 NITISH KUMAR D F O, BOKARO 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
29	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117925	DHNFOR001 VIKAS PALIWAL DIVISIONAL FOREST OFFICER 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
30	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117926	GRDFOR001 MANISH KUMAR TIWARI DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये एक करोड पचास लाख

क्रमिक योग:

1,500,000.00

15,000,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)
STAFF P.C.C.E DEV. JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117927	GRDFOR003 ANKIT KUMAR SINGH D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
32	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117929	DRNFWL049 AWANISH KUMAR CHAUDHARY DFO WILD LIFE DIVISION RANCHI 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
33	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117931	HZBFWL016 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O.WILD LIFE HZB 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग: रुपये एक करोड पैंसठ लाख

1,500,000.00

क्रमिक योग:

16,500,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

SHANDEECCCE DEY, JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एकसेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
34	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117932	JSRFOR002 SHABA ALAM ANSARI DY.C.F.& F.D.PROJ.ELEPHANT JSR 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	500,000.00 रुपये पाँच लाख
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
35	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117934	PLMFOR069 PRAJESH KANTA JENA DY.DIR.TIGER.PRO.N ORTH.DIV.MED 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	1,877,000.00 रुपये अठारह लाख सित्थोत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
36	S 19 24060110161000329 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 61 - वन्य प्राणी संरक्षण एवं अपराध नियंत्रण 00-NA 03 - प्रशासनिक व्यय	117936	PLMFOR068 KUMAR ASHISH DY.DIR.TIGER.PRO.S UTH.DIV.MED 29 - व्यावसायिक सेवाएँ	1,877,000.00 रुपये अठारह लाख सित्थोत्तर हजार
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

योग:

रुपये दो करोड सात लाख चौपन हजार

4,254,000.00

क्रमिक योग:

20,754,000.00

(DESETTI VENKATESWARLU)

S. ADI. PCCF DEV. JHARKHAND